(20)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्रमांक R. 1172-तीन/14

विमल बहादुर सिंह तनय श्री बृजमोहन सिंह, निवासी ग्राम तेंदुन, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. आम जनता तेंदुन, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.) द्वारा प्रतिनिधि :–
   - अ. धर्मेन्द्र सिंह तनय बांके सिंह,
   - ब. विष्णु प्रताप सिंह तनय श्री राघवेन्द्र सिंह,
   - स. शीतला सिंह तनय श्री राजबहादुर सिंह,
   - द. विजय बहादुर सिंह तनय श्री शिशुपाल सिंह,
   - च. राजमणि साहू तनय बाल्मीक साहू,
   - फ. अरुण सिंह तनय सत्यनारायण सिंह,

   सभी निवासी ग्राम तेंदुन, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, रीवा के प्रकरण क्र. 53 / अ–19 / 2008–09 आदेश दिनांक 10.02.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

7-4-14

Pawde ads[illegible] / [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : /III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-4-2014	कलेक्टर, रीवा के प्र.क. 53/अ-19/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10.2.2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख देखा गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव कलेक्टर, रीवा व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.2.14 के अवलोकन से स्थिति यह है कि सुनवाई के दौरान पेशी पर उभय पक्ष उपस्थित रहा है एंव प्रकरण गुणदोष पर तर्क हेतु नियत किया गया है। आवेदक व्दारा निगरानी में वर्णित तथ्यों एंव कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 10.2.14 के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक कलेक्टर न्यायलय में अपना पक्ष एंव बचाव प्रस्तुत न करके प्रकरण की कार्यवाही टालने के लिये प्रयासरत् है जबकि कलेक्टर के समक्ष उसे अपना पक्ष प्रवलरूप से रखने एंव बचाव प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। इन्हीं कारणों से विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। 4/ उक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (हस्ताक्षर) सदस्य	